न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–83 / 2013

सुनील सिंह वगैरह.....वादीगण

बनाम

श्याम नन्दन सिंह वगैरह.....प्रतिवादीगण

आदेश

21.06.23 अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन साथ उपसमन उपास्तीकरण एवं कालबाधा शांत करने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–03.02.2023 तथा उसके तत्संबंधित प्रत्युत्तर दिनांक–10.03.2023 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में वादी ने निवेदन किया है कि वर्तमान वाद के प्रतिवादी सं0–1 श्याम नन्दन सिंह की मृत्यु दिनांक–19.08.2022 को हो गई जिसकी जानकारी बाहर रहने एवं वादी सं0–1 के पुत्र के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण इलाज में व्यस्त रहने के कारण ससमय नहीं हो पायी। इस प्रकार हुई कालबाधा को शांत करते हुए एवं उपसमन अपास्त करते हुए उनके विधिक वारिसानों को पक्षकार बनाए जाने की कृपा की जाए।

उपरोक्त आवेदन के प्रत्युत्तर में यह निवेदन किया गया है कि विधिक वारिसान सं0–1 से 4 तक का नाम, पता गलत है। अतः यह आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद में प्रतिवादी सं0–1 आवश्यक पक्षकार हैं तथा उनकी मृत्यु के संबंध में कोई विरोधाभाष नहीं है। इतना ही नहीं, प्रतिवादी द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर में वादी सं0–1 के पुत्र के साथ हुई दुर्घटना एवं उसके इलाज के संबंध में भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। अतः इस प्रतिस्थापन के संबंध में कालबाधा शांत करते हुए उपसमन अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहाँ तक प्रतिस्थापित होने वाले विधिक वारिसानों का प्रश्न है तो उसके संबंध में भी प्रतिवादी ने अपने प्रत्युत्तर में यह अंकित नहीं किया है कि वादी द्वारा दाखिल पता किस प्रकार गलत है एवं गलत पता दर्ज करने का प्रभाव यदि होगा तो वह भी वादी के विरुद्ध ही होगा। अतः उससे प्रतिवादीगण किसी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं होते हैं। अतः उपरोक्त प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वादपत्र से प्रतिवादी सं0–1 का नाम विलोपित करते हुए आवेदनांकि छः पक्षकार का नाम एक के कमानुसार वादपत्र में दर्ज करें।

अभिलेख दिनांक– 19-07-23 वास्ते प्रतिस्थापित प्रतिवादी की उपस्थिति हेतु सम्मन का उपकरण दाखिल करने हेतु प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।